''उपवन'' की पहल पर स्वैच्छिक संगठनों के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य नीति-2009 का प्रस्तावित प्रारूप

1- iLrkouk

यह नीति स्वैच्छिक संगठनों की अपनी स्वायत्तता और गैर राजनीतिक पहचान के साथ सरकार से संबंध/साझेदारी के प्रयास की शुरूआत है। इस नीति के राजकीय महत्व के लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। तद्नुसार शासनादेश लागू किया जायेगा।

1-1 यह नीति उत्तर प्रदेश में साधारण जनसमुदाय तथा समाज के वंचित व पिछड़े वर्ग के बहुआयामी विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। ये संगठन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, लोकोपकार तथा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी आदि गतिविधियों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं।

2- mnn';

इस नीति का उद्देश्य, इन संगठनों की o/kkfud o 0;kogkfjd i{kk dh etcrh के लिए स्वतंत्रता, स्वायत्तता, व्यापक प्रभाव तथा नये प्रयोग करने की कार्य क्षमता को, बढ़ावा देना है।

3- dk;{k=

3-1 इस नीति का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश में पंजीकृत, विकास व सामाजिक परिवर्तन में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को लेकर होगा।

3-2 इस नीति को कार्यरूप में परिणित करने के लिए राज्य में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वायत्तशासी और अधिकार सम्पन्न स्वैच्छिक क्षेत्र संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग का गठन किया जायेगा, जिसका कार्यक्षेत्र एवं कार्यभूमिका निम्नलिखित हैः–

3-2 LofPNd {k= l;Dr lykgdkj lfefr@vk;kx

3-2-1 iLrkouk ¼fi,Cy½–

"राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में LofPNd {k= l;Dr lykgdkj lfefr@vk;kx का गठन किया जायेगा। यह समिति/आयोग राज्य में जनसमुदाय तथा समाज के वंचित व पिछड़े वर्ग के बहुआयामी विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, गैर राजनीतिक पहचान की सुरक्षा तथा उनके प्रभाव व नवोन्मेषी (इन्नोवेटिव) क्षमता में वृद्धि हेतु इस नीति में की गई अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करेगा।"

3-2-2 xBu&

- v/;{k–उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस समिति/आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- mik/;{k–इस समिति/आयोग का उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होगा, जिसे दस वर्ष या उससे अधिक अवधि से स्वैच्छिक कार्य के क्षेत्र में समर्पित रहकर अनुभव प्राप्त हो।
- lnL;–इसके सदस्यों में राज्य के नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम व नगर विकास, कल्याणमूलक, राहत व पुर्नवास तथा अवस्थापना निर्माण में लगे विभागों के सचिव के अलावा उतनी ही संख्या में स्वैच्छिक संगठनों के

UPVAN, 10 Satyalok Colony, Mohibullapur Madiao, Lucknow - 226021, Uttar Pradesh [India].
Phone/Fax : +91522-2361563, 2732267

प्रतिनिधि, भी नामित किये जायेंगे। समिति/आयोग के स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि जो स्वैच्छिक कार्यप्रणाली के मूल्य व सिद्धान्त को समर्पित होंगे तथा जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र मे विकासप्रशासन व प्रबन्धन का दस वर्षो का अनुभव होगा।

- lnL; lfpo– राज्य योजना आयोग के सचिव इस समिति/आयोग के लिए नोडल अधिकारी/सचिव होंगे, जो प्रबंधन, संगठनात्मक ढांचा, सामाजिक विकास कार्यक्रमों/अभियानों/आन्दोंलनों के बीच तालमेल (समन्वयन) में सक्षम होंगे।
- lnL;rk lekfIr– समिति/आयोग की सदस्यता समाप्ति के लिए निम्नलिखित आधार होंगे
    - मृत्यु
    - पागल
    - दिवालिया;
    - अनैतिकता के आधार पर सजायाफ्ता; तथा
    - पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात सिद्ध होने पर।

3-2-3 vkSipkfjd izfØ;k&

- स्वैच्छिक नीति का प्रस्तुत आलेख्य (ड्राफ्ट) राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होने के दो वर्ष के अन्दर राज्य में इस स्वैच्छिक क्षेत्र संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग का गठन किया जायेगा।
- समिति/आयोग में सचिव पद को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष होगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल द्वारा पहले भी हटाया जा सकता है।
- समय–समय पर समिति/आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उसके कार्यसंचालन में अधिकारी व कर्मचारियों की अर्हताएं (एलिजबिलिटी) बनाई/संशोधित/निरस्त की जा सकेंगी।
- कार्यसुविधा की दृष्टि से समिति/आयोग के निम्नांकित प्रभाग होंगे–
    - अन्वेषण, अनुसंधान एवं प्रयोग (एक्शन रिसर्च);
    - क्रियान्वयन (इंपलीमेण्टेशन)
    - अनुश्रवण; (मॉनीटिरिंग)
    - मूल्यांकन; (इवैल्यूशन)
    - अनुदान संबंधी; (ग्रान्ट्स एप्लीकेशन–सैंक्शनिंग)
    - प्रशिक्षण; (ट्रेनिंग) तथा
    - प्रबंधन/समन्वय प्रभाग।

3-2-4 dk;{k=& lfefr@vk;kx d dk;{k= e&

- स्वशासित अर्थात सरकारी नियंत्रण से मुक्त;
- स्पष्ट लक्ष्य/उद्देश्य के साथ पंजीकृत;
- संस्थागत लाभ मालिकों/निवेशकों में न वितरित करने वाले; तथा
- जागरूक माहौल तैयार कर विकास व परिवर्तन लाने वाले स्वैच्छिक संगठन सम्मिलित किये जायेंगे।

3-2-5 mnn' ;&

- राज्य सरकार और समाज में प्रभाव बढ़ाने वाले स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास हेतु सहायक व प्रेरक वातावरण तैयार करना;
- स्वैच्छिक संगठनों से साथ विश्वास और सम्मान तथा साझी जिम्मेदारी हेतु सरकारी कार्यप्रणाली की पहचान बनाना और बढ़ाना;
- पारदर्शी और जबाबदेह अभिशासन व प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

3-2-6 dk;Hkfedk@drO;& समिति/आयोग के प्रमुख चार कर्तव्य होंगे–

¼,d½ LofPNd lxBuk d fgr e lg;kxi.k ekgky r;kj djuk–

- स्वायत्तता बढ़ाने वाले ऐसे निष्पक्ष कानून/नियम/उपनियम निर्धारित किये जायेंगे जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, समिति पंजीकरण कानूनों की समीक्षा के आधार पर, संगठनों के वर्गीकरण मे सहायक हो;
- विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप संगठनात्मक व्यवस्था निर्धारित कर सकें;
- संस्थागत कार्यसंचालन/व्यवस्था के तालमेल (कोऑडीनेशन) में सहायक हो;
- व्यय धनराशि के उपयोग व उसके परिणामों की जबाबदारी तय करने में सहायक हो;
- विकास की आवश्यकता के अनुरूप नवोन्मेषी प्रयोग में सहजकर्ता (फ्रेसिलिटेटर) की भूमिका में सुविधाजनक हो;
- लोकोन्मुखी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक प्रयासों के विपरीत कार्य निर्णय व नीति निर्धारण में जो एडवोकेसी (जनपैरवी) की क्षमता बढ़ाने में सहायक हो;
- सामाजिक समस्याओं से जूझने हेतु क्षमतावृद्धि में सहायक हो; तथा
- सरकारी अनुदानों की स्वीकृति में सहज/सरल पद्धति निर्धारित कर उनके अनुपालन में सहायक हो।

¼nks½ fodkl e th0vk0@,u0th0vk0 dh lk>nkjh grq ljy o lgt ifØ;k dk fu/kkj.k&

- किसी भी विभाग योजना/परियोजना/कार्यक्रम/अभियान के नियोजन उसकी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति तथा क्रियान्वयन् के स्तर पर यह समिति/आयोग (जी0ओ0/एन0जी0ओ0) दोनो पक्षों की साझेदारी सुनिश्चित करेगा।
- सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के बीच विकास कार्यो में साझेदारी के लिए आयोग द्वारा कार्यप्रस्ताव की आपसी समझ, विश्वास और सम्मान के आधार पर पूरक भूमिकाएं, तथा जिम्मेदारी और अथॉरिटी में भागेदारी की शर्ते स्पष्ट व सरल बनाई जायेगी।
- परियोजना में दिया गया कार्य पूरा करने के लिए चयनित स्वैच्छिक संगठनों को समिति/आयोग द्वारा क्लियरेंस दिया जायेगा। इसका दस्तावेज दोनो पक्षों की सहमति से तैयार किया जायेगा।
- संबंधित विभागों के वार्षिक बजट की 10 प्रतिशत धनराशि का व्यय, संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग की सहमति से किया जायेगा, जो संबंधित विभागों की अनुदान शर्तो में पहले से निर्धारित रहेगा।
- साझेदारी के निम्नांकित उपाय निर्धारित करने के लिए समिति/आयोग द्वारा उपसमितियों का गठन किया जायेगा–
    - राज्य, जनपद स्तर पर संवाद की औपचारिक प्रक्रिया हेतु;
    - जटिल मामलों को सुलझाने के लिए रणनीतिक सहयोग हेतु
    - परियोजना के अनुसार अनुदान की मानक धनराशि के निर्धारण हेतु;
    - प्रदेश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु;
    - जिला, विकास खंड और ग्राम स्तर पर स्वैच्छिक कार्य के नियोजन, अनुश्रवण व समीक्षा हेतु;
- समिति/आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गठित स्वैच्छिक इकाई में प्रतिनिधित्व हेतु दो सदस्य नामांकित किये जायेगे।
- समिति/आयोग द्वारा राज्यव्यापी सहयोगी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सक्रिय पंजीकृत संस्थाओं को जोड़ा जायेगा। इस साझेदारी में स्थानीय स्वशासन इकाईयां, शिक्षण संस्थाएं और निजी क्षेत्र के संगठन भी शामिल हो सकते है।
- परियोजना में वित्तीय सहयोग के लिए राज्य के बाहर से आने वाले स्वैच्छिक संगठनों को समिति/आयोग से क्लियरेंस लेना होगा।
- बड़ी योजनाओं के निर्माण से होने वाले विस्थापनों की समस्याओं को लेकर स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों की असहमति होने पर समिति/आयोग द्वारा नीतियों में सुधार हेतु योजना/परियोजना को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया जायगा।

¼rhu½ LoSfPNd {ks= dk l'kDr djus ds mik;ksa dh igpku o vuqikyu&

- स्वैच्छिक क्षेत्र में मूल्यगत और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए समिति/आयोग नये व पुराने प्रशिक्षण संस्थानों की भौतिक सुविधा बढ़ाने में मदद करेगा।
- समिति/आयोग के परामर्श से राज्य में LoSfPNd lsok fodkl laLFkku गठित कर सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विकास विभाग अपनी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को चलाने के लिए जिला, विकास खण्ड व ग्राम स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें।
- स्वैच्छिक सेवा विकास संस्थान आयोग की सहमति से इस क्षेत्र में सक्रिय संगठनों की क्षमतावृद्धि हेतु समय–समय पर जी0ओ0/एन0जी0ओ0 के बीच सकारात्मक संवाद आयोजित कराता रहेगा, ताकि दोनो पक्ष एक दूसरे की भाषा, कार्यसंस्कृति और सीमाओं से भलीभाँति अवगत हो सके।
- राज्य स्वैच्छिक सेवा विकास संस्थान, प्रत्येक वर्ष स्वैच्छिक संगठनों का एक राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित करेगा जिसमें प्रतिभागीगण अपने क्षेत्रीय अनुभवों को खुले मंच से व्यक्त करेंगे और अंत में मांगपत्र तैयार कर राज्य सरकार तथा संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग को क्षेत्रीय विकास तथा अपनी संगठनात्मक क्षमतावृद्धि हेतु सुझाव भेजा जायेगा।

¼pkj½ LoSfPNd {ks= ds laxBukRed@dk;ZØe lEca/kh leL;kvksa o tfyVrkvksa ds fujkdj.k lEca/kh dk;Z&

- स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीकरण, नवीकरण, नियमावली संशोधन तथा प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय रजिस्टार कार्यालय में जमा किये जाने वाले प्रपत्रों व अभिलेखों को लेकर उत्पन्न समस्याओं और जटिलताओं को समय से निपटाने के लिए समिति/आयोग द्वारा संस्थाओं तथा रजिस्टार के बीच प्रभावी समन्वय न किया जायगा।
- विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन् में विभागीय हस्तक्षेप व उत्पीड़न से संस्थाओं की मुक्ति हेतु आयोग सुनवाई कर उसके निस्तारण हेतु निर्णय के लिए अधिकृत होगा।
- स्वैच्छिक संगठनों द्वारा योजनाओं के क्षेत्रीय क्रियान्वयन के दौरान होने वाले विभिन्न हमलों/उत्पीड़नों की जाँच हेतु यह समिति/आयोग विशेष जाँच समिति का गठन करने को अधिकृत होगा और प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेकर समस्या समाधान हेतु सक्षम होगा।

4- LoSfPNd {ks= gsrq lg;ksxi.kZ ekgkSy cukus esa lgk;d

4-1 उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण केवल एक बार किया जायेगा। लगातार पाँच वर्षो तक यदि कोई संगठन अपनी गतिविधियां और व्यय के लेखे–जोखे को सूचित नही कर पाता तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

4-2 यह नीति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, चैरिटेबुल ट्रस्ट अथवा केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य कानून के तहत गैरलाभ कम्पनियों के तौर पर पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के हित के लिए कार्य करेगी।

4-3 स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ सकारात्मक संबंध एवं व्यवहार बनाने और उसकी मजबूती के लिए सरकार प्रशिक्षण एजेसियों को प्रोत्साहित करेगी। इससे संबंधित कार्यदिशा राज्य में गठित संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग द्वारा

तय की जायेगी, ताकि प्रत्येक स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संवाद बने और बढ़ता रहे।

4-4 परियोजना आकलन (अप्रेजल), स्वीकृति, पंजीकरण, आयकर संबंधी शिकायतों को निपटाने में समयबद्ध पक्रिया हेतु fl`xy foaMks flLVe की सुविधा की जायेगी। उनके द्वारा की गई शिकायत को निपटाने के लिए राज्य में गठित संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग अधिकृत होगा।

5- fodkl esa lk>snkjh

5-1 सरकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र जब मिलजुल कर साथ–साथ काम करेंगे तभी सार्थक परिणाम देने वाले कार्य होंगे।

- योजना/परियोजना/कार्यक्रम/अभियान के नियोजन,उनकी प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा क्रियान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकन के स्तर पर दोनों पक्ष (जी0ओ0/एन0जी0ओ0) साझीदार होंगे।
- स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त सूचना तथा उनकी अलग–अलग कार्यभूमिका के अनुसार राज्य द्वारा उन्हें वित्तीय सहयोग (अनुदान) दिया जायेगा।

5-2 सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के बीच साझेदारी के लिए कार्य के उद्देश्यों की आपसी समझ जरूरी है। ऐसे में दोनो पक्षों के बीच पूरक भूमिकाओं में परियोजना/कार्यक्रमों के फारमुलेशन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के दौरान स्पष्ट समझ, आपसी विश्वास व सम्मान के आधार पर जिम्मेदारी और अथारिटी में सहभागिता तय की जायेगी।

5-3 सरकार, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहयोग/अनुदान व अन्य संसाधन देगी। साथ ही, अनुदान धनराशि के उपयोग को लेकर पारदर्शिता, जबाबदेही और अनुश्रवण को प्रोत्साहित करेगी। इस हेतु राज्य में fu;kstu foHkkx स्वैच्छिक संगठनों के लिए ukskMy foHkkx होगा। यह विभाग राज्य स्तरीय स्वैच्छिक आंकड़े और विकास संबंधी सूचना वेबसाइट पर सुलभ कराता रहेगा।

5-4 राज्य मे स्वैच्छिक क्षेत्र का नोडल विभाग होने के नाते सरकार का नियोजन विभाग स्वैच्छिक संगठनों का सेक्टरवार डेटाबेस डायरेक्ट्री तैयार करायेगा और प्रतिवर्ष उसे अपडेट करा कर संयुक्त सलाहकार समिति/आयोग को सुलभ कराता रहेगा।

6- LoSfPNd {ks= dk l'kDrhdj.k

6-1 अपने संस्थागत अभिशासन में जो स्वैच्छिक संगठन सर्वसम्मत जनतांत्रिक अभिशासन, पारदर्शिता और जबाबदारी के मापदण्ड पर अमल करेंगे उनके आदर्श व्यवहार का प्रचार प्रसार कर सम्पूर्ण स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6-2 lwpuk ds vf/kdkj vf/kfu;e ¼2005½ dh /kkjk 4-1 ¼ch½ ds ÞLoi%dVuß iz/kko/kku ds rgr राज्य सरकार अपने विकास विभागों के वेबसाइट इस प्रकार डिजाइन करेगी कि उनसे धन देने वाली योजनाओं और अपेक्षित औपचारिकताओं की जानकारी सुलभ हो सके।

& & & & & & & & & & & & & &